पत्रांक–योजना बजट–43/2015 /प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–........./10/2017

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में गया वन प्रमंडल के अंतर्गत जे0पी0 उद्यान, बोध गया के विकास हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत कुल रू0 162.62 लाख (एक करोड़ बासठ लाख बासठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017–18 में गया वन प्रमंडल के अंतर्गत जे0पी0 उद्यान, बोध गया के विकास यथा संलग्न अनुलग्नक–01– A के अनुरूप उद्यान का उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं सौदर्यीकरण हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत कुल रू0 162.62 लाख (एक करोड़ बासठ लाख बासठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार, पटना के पत्रांक 655, दिनांक 12.10.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में वचनबद्ध राशि एवं अन्य मदो पर जो नबम्बर माह में व्यय किया जाना है, उसे योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त अतिरिक्त उद्व्यय राशि के अंतर्गत व्यय किये जाने एवं इस स्वीकृत योजना पर वर्तमान में अन्य मदों के लिए उपलब्ध उपबंधित राशि से व्यय किये जाने के आधार पर यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष– 0105 पथ तट फार्म, विपत्र कोड–19-2406018000105, के विषय शीर्ष–0105.02.01–मजदूरी, 0105.27.01–लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0103 पथ तट फार्म, विपत्र कोड–19-2406017890103, के विषय शीर्ष–0103.02.01–मजदूरी, के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया होगें तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। इस राशि का व्यय उपलब्ध विभागीय वार्षिक उद्व्यय एवं उपबंधित राशि के अंतर्गत ही किया जायेगा।

4. इस राशि से संबंधित योजना के क्रियान्वयन होने समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर पर ही हो।

5. प्रस्ताव में संचिका के पृ0 21/टि0 पर दिनांक 18.10.2017 को प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

6. प्रारूप में संचिका के पृ०–21 /टि० पर दिनांक–18.10.2017 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना (संलग्न अनु0–1–A) में दर्शाया गया प्राक्कलन के अनुरूप ही इन योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए इस योजना के क्रियान्वयन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न सभी पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा कराया जायेगा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना का होगा। आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विष्वासभाजन,

ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक--योजना बजट–43/2015 3382/प०व० पटना–15, दिनांक–18/10/2017

**प्रतिलिपि** :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Jha 18/10/17

(रत्नेश झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

## कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

| ESTIMATE FOR DEVELOPMENT OF J. P. UDYAN, BODHGAYA. | | | |
|---|---|---|---|
| Sl. No. | work description | Nos of units | Estimated Amount 2017-18 |
| 1 | Development of Pathway | 3043'-0" | 1914887 |
| 2 | Maingate & Ent. Area Development | 2400 sft. | 493060 |
| 3 | Development of Garden Area i.e. Lawn etc. | | 2500000 |
| 4 | Garden Lamps, Garden Music & Other Elect works | 1 | 2320858 |
| 5 | Gazebo and Chatries | 3 nos. | 773445 |
| 6 | Ornamental, Flower pots and other Plants in Garden | 1 | 1396335 |
| 7 | Play Equipments | 1 | 2197206 |
| 8 | Harvesting tank and water supply | | 1230718 |
| 9 | Toilet Block | 1 | 2477229 |
| 10 | Sound System | 1 | 175306 |
| 11 | CCTV System in Park | 1 | 102815 |
| 12 | Tripod Turnstile gates | 1 | 679800 |
| | **Total** | | **16261659** |
| | | or Say | **16262000** |

प्रत्येक योजना पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसे क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना द्वारा समर्पित किया गया है। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये जाने वाले कार्यो के लिए समेकित योजना रू. 162.62 लाख पर तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है।

12-10-17

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)**
**बिहार, पटना।**

18/10/17
संयुक्त सचिव

F:\SHASHI\BUDGET\FINANCIAL YEAR 2017-18\PLAN SCHEMES 2017-18\Piparghatti, gaya schemes 2017-18.xls